समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

अधिहरण वाद संख्या–127/2022–23

जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो (राज्य)

–बनाम्–

श्री बालाजी कोल ट्रेडर्स

–::आदेश::–

03.10.2023 अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी–सह–अधियाचना पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–15/2023, दिनांक–14.02.2023 के द्वारा सूचित किया गया है कि चन्दनकियारी (बरमसिया ओ0पी0) थाना कांड सं0–173/2022, दिनांक–18/09/2022, धारा–379/ 411/34 भा0द0वि0, 21 MMDR Act एवं धारा 54 JMR के अन्तर्गत जप्त 1. सोलह चक्का ट्रक रजि0 नं0–JH10CK-3639 एवं उस पर लदा करीब 31 टन अवैध कच्चा कोयला 2. सोलह चक्का ट्रक रजि0 नं0–JH10CE-4933 एवं उस पर लदा करीब 32 टन अवैध कच्चा कोयला 3. चौदह चक्का ट्रक रजि0 नं0–JH10BY-4672 एवं उस पर लदा करीब 28 टन अवैध कच्चा कोयला तीनों वाहनों के वाहन मालिक (श्री बालाजी कोल ट्रेडर्स) श्री शिवशंकर सिंह, पिता नर्मदेश्वर सिंह, सा0–N.H. 02, G.T. Road, Ramkanali, Nirsa वर्तमान पता सा0 भमाल, (निरसा चट्टी), थाना निरसा, धनबाद के विरूद्ध अवैध खनन एवं परिवहन करने के आरोप में दर्ज किया गया है। फलस्वरूप The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत जप्त सभी वाहन एवं कुल 91 टन अवैध कच्चा कोयला को राजसात् की कार्रवाई करने हेतु यह वाद दायर किया गया है।

वाद का सारांश यह है कि दिनांक–17.09.2022 चन्दनकियारी (बरमसिया ओ0पी0) के स0अ0नि0 उमेश कुमार शर्मा एवं अन्य आरक्षी रात्रि गस्ती में निकले थे। रात्रि गस्ती के दौरान ही दिनांक–18.09.2022 को समय करीब 4:00 बजे गुप्त सूचना मिली कि धनबाद निरसा से चन्दनकियारी होते हुए पश्चिम बंगाल जाने वाली एन0एच0 218 में रोड में ट्रक के माध्यम से अवैध कोयला का परिवहन किया जा रहा है। वादी पुलिस पदाधिकारी के द्वारा इस संदर्भ में वरीय

की स्वामित्व वाली फर्म श्री बालाजी कोल ट्रेडर्स द्वारा खरीदी गई है, इसलिए भा0द0वि0 की धारा– 379/414 प्रतिवादी के खिलाफ लागु नहीं होती है। अंत में विद्वान अधिवक्ता के द्वारा राज्यस्रात की कार्यवाही को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो की ओर से दाखिल प्रतिशपथ–पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत वाहन एवं कोयला को बिना वैध कागजात (ई–परिवहन चालान फार्म D) के परिवहन किये जाने के क्रम में सहायक अवर निरीक्षक, बरमसिया ओ0पी0 के द्वारा चेकिंग के दौरान एन0एच0 218 मेन रोड, माँ तारा लाईन होटल के समीप जप्त किया गया है। जो The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के नियम 9 का उल्लंघन है। इस वाद में जप्त वाहन को बिना JIMMS Portal द्वारा निर्गत ई–परिवहन चालान के ही परिवहन किया जा रहा था। The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के नियम 13 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि " Any person, who contravenes any of the provision of these rules, or buys or sells or store minerals except under and in accordance with the terms and conditions of dealers registration or who transports the minerals except as mentioned in the transport challan or transport minerals without transport challan shall be punishable as per provision made under JMMC Rule, 2004 and as amended from time to time." इसके अतिरिक्त The Jharkhand Minor Mineral Concession Rules, 2004 (as amended) के नियम 54 (5) में उल्लेख है कि " If a vehicle is found to be transporting minerals without e-transport challan in FORM D, then a penalty equivalent to double the cost of mineral is leviable. अन्त में जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के द्वारा प्रतिवादी की ओर से दाखिल कारण–पृच्छा/जबाब को उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

दोनो पक्षों की दलील, दाखिल कारण–पृच्छा, जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिशपथ–पत्र एवं अभिलेख में संधारित अन्य कागजातों के अवलोकन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रतिवादी के द्वारा बिना वैध कागजात (ई–परिवहन चालान फार्म

D) के ही प्रश्नगत कोयले का परिवहन करने के क्रम में जप्त किया गया है, क्योंकि जाँच दल को देखते ही प्रतिवादी के द्वारा वैध कागजात/ई–परिवहन चालान प्रस्तुत करने के बजाय, वाहन छोड़कर भागने लगे। उनके द्वारा ऐसा किया जाना उनके दूषित मंशा को दर्शाता है साथ ही गलत कार्य करने में संलिप्त होने का भी संदेह उत्पन्न करता है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रश्नगत कोयले से संबंधित ई–परिवहन चालान का घटना के पश्चात प्रस्तुत किया गया है जबकि उसे वाहन जाँच के दौरान प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त तीनों वाहन (ट्रक रजि0 नं0–JH10CK-3639, ट्रक रजि0 नं0–JH10CE-4933 तथा ट्रक रजि0 नं0–JH10BY-4672) कामर्शियल वाहन है, जिसके जप्त रहने से राष्ट्रीय सम्पत्ति की क्षति के साथ सरकार को भी राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। मान्नीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया के सुन्दरभाई अम्बालाल देसाई बनाम् गुजरात राज्य सरकार के Special Leave Petition (Cri.) 2745 of 2002 में दिनांक–01 अक्टुबर 2002 को पारित आदेश का उद्धरण जिसमें उल्लेख किया गया है कि "……However these powers are to be exercised by the concerned Magistrate. We hope and trust that the concerned Magistrate would take immediate action for seeing that powers under Section 451 Cr.P.C. are properly and promptly exercised and articles are not kept for a long time at the police station, in any case, for not more than fifteen days to one month……"

वर्णित परिस्थिति में The Jharkhand Minor Mineral Concession Rules, 2004 (as amended) के नियम 54 (5) "..... **यदि किसी वाहन का कोई चालक लघु खनिज को परिवहन करते समय सक्षम पदाधिकारी अथवा निदेशक, खान अथवा अपर निदेशक, खान अथवा उप निदेशक, खान अथवा जिला/सहायक खनन पदाधिकारी अथवा समाहर्त्ता अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी को प्रपत्र 'एम' अथवा झारखण्ड खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के अन्तर्गत फार्म 'डी' में परिवहन चालान दिखाने में असफल रहता है अथवा निरीक्षण से इन्कार करता है, तो उसे अधिकतम 01 वर्ष की कैद अथवा खनिज मूल्य की दोगुनी राशि के बराबर दण्ड अथवा दोनो एक**

साथ दिया जा सकता है,..... सक्षम पदाधिकारी द्वारा अवैध परिवहनकर्त्ता के उपरोक्त दण्ड शुल्क एवं इस आशय का बंध पत्र (Bond Paper) समर्पित किए जाने पर कि न्यायालय द्वारा नोटिस दिए जाने पर उपस्थित होंगें, वाहन को खनिज सहित छोड़ा जा सकता है,....." के आलोक में अन्तरिम आदेश पारित करते हुए प्रतिवादी को निदेश दिया जाता है कि वह प्रश्नगत कोयले से संबंधित Tax invoice में अंकित राशि के समतुल्य दण्ड शुल्क के रूप में दोगुनी राशि, ई–चालान के माध्यम से BKRNMI001-DIST. MINING OFFICER, MINING OFFICE, Department of Industries, Mining & Geology के पक्ष में आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर जमा करते हुए चालान की प्रति अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगें, त्तपश्चात प्रश्नगत वाहन एवं उस पर लदे कुल 91 टन कच्चा कोयले के विमुक्ति पर विचार किया जाएगा।

तद्नुसार संबंधित को सूचित करें। अभिलेख दिनांक–13.10.2023 को रखें।

लेखापित एवं संशोधित।

03.10.23

समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

03.10.23

समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2024.07.19 11:23:21 +05:30
Location: 192.168.1.103